छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 141/2011

याचिकाकर्ता **मेसर्स श्रेनिक राजा रोडवेज परिवहन ठेकेदार एवं कमीशन एजेंट**

बनाम

उत्तरदातागण **भारतीय खाद्य निगम और अन्य।**

निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सतीश के अग्निहोत्री
न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

सही/-
मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव
न्यायाधीश

आदेश उद्घोषणा हेतु 19 मार्च, 2012 को सूचीबद्ध करें

सही/-

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 141/2011

याचिकाकर्ता मेसर्स श्रेनिक राजा रोडवेज परिवहन ठेकेदार एवं कमीशन एजेंट

बनाम

उत्तरदातागण भारतीय खाद्य निगम और अन्य।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिका

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कोरम: माननीय श्री सतीश के.अग्निहोत्री, एवं

माननीय श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीशगण

उपस्थित: श्री मनोज परांजपे, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

श्री प्रशांत जायसवाल,वरिष्ठ अधिवक्ता साथ में श्री प्रवेश शर्मा, अधिवक्ता उत्तरदाता क्रमांक 1 और 2 की ओर से

श्री के.ए.अंसारी, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री अंकुश मिश्रा, अधिवक्ता उत्तरदाता क्रमांक 3 की ओर से

श्री संजय के.अग्रवाल अधिवक्ता उत्तरदाता क्रमांक 4 की ओर से

निर्णय घोषित दिनांक : 19 मार्च, 2012

सतीश के.अग्निहोत्री न्यायाधीश,

1. प्रस्तुत याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरदाता क्रमांक–1 को यह निर्देश देने की प्रार्थना की गई है कि वह याचिकाकर्ता की तकनीकी बोली स्वीकार करे तथा निविदा आमंत्रण सूचना, संक्षेप में NIT, दिनांक 24.09.2010 (अनुलग्नक पी/1) के अंतर्गत मद क्रमांक 41 एवं 50 के संबंध में वित्तीय बोली खोले और यदि याचिकाकर्ता की वित्तीय बोली न्यूनतम पाई जाती है, तो याचिकाकर्ता को संविदा प्रदान किया जाए।
2. संक्षेप में, तथ्य, ये हैं कि याचिकाकर्ता, जो परिवहन के व्यापार में लगी एक एकल स्वामित्व व्यवसाय है, ने दिनांक 01.10.2010 को (अनुलग्नक पी/9) अलग-अलग लिफाफों में एक निविदा जमा किया, अर्थात तकनिकी बोली तथा वितीय बोली, निविदा आमंत्रण सूचना में मद नंबर 41 में दर्शाय गए सरायपाली से गुमला (झारखंड) और मद क्रमांक 50 में दर्शाय गए बसना से गुमला (झारखंड) तक अनाज के ढुलाई के लिए याचिकाकर्ता की तकनिकी बोली को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उसके पास अपेक्षित अनुभव नहीं था, जैसा कि समिती की रिपोर्ट (अनुलग्नक आर/4) में कहा गया है, तकनिकी बोली के पन्नों पर बिना मुहर के हस्ताक्षर किए गए थे और साथ में दिए गए दस्तावेज पर न तो पक्षकार ने हस्ताक्षर किए थे और न ही नोटरी किया था, भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, रायपुर का दिनांक 24.06.2008 का अनुभव प्रमाण-पत्र मात्र दिनांक 24.06.2008 तक का था जो विगत दो वर्ष का नहीं है, वेदांता एल्युमिनियम और बाल्को का जारी किया गया दूसरा कार्य अनुभव एल्युमिनियम हाइड्रेट, एल्युमिना सैंडी के ढुलाई के लिए कार्य/सेवा आदेश है और जो स्थानीय परिवहन कार्य के लिए प्रस्तुत तकनिकी निविदा के पृष्ठ क्रमांक 15 पर दर्शाय गए तकनिकी बोली की शर्तों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। क्योंकि किए गए कार्य न तो अनाज, फर्टिलाइज़र, सीमेंट थे और न ही इसी तरह के काम थे। याचिकाकर्त्ता को बसना/सरायपाली से गुमला वर्ष 2006-2008 के लिए असफल ठेकेदार घोषित किया गया था और काम पार्टी के 'जोखिम एवं लागत' पर दिए गए थे, लेकिन पक्षकार ने पृष्ठ क्रमांक 16 पर तकनिकी बोली में यह बात छिपा दी थी।
3. इसलिए, इस याचिका में उत्तवादी-भारतीय खाद्य निगम को याचिकाकर्ता की तकनिकी बोली स्वीकार करने का निर्देश देने की मांग की गई है, और यदि प्रस्ताव न्यूनतम पाया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जाता है, तो निविदा याचिकाकर्ता को दिया जाए। निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक 24.09.2010 को प्रकाशित हुई थी और निविदा प्राप्ति की आखिरी तारीख 16.10.2010 को अपराह्न 1.30 बजे थी और निविदा उसी दिन अपराहन 2.00 बजे खोला जाना था।

4. याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता श्री परांजपे ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को सामान के ढुलाई का अनुभव है क्योंकि उन्हें वेदांता एल्युमिनियम कंपनी, कोरबा से सामान के ढुलाई का निविदा मिला था। याचिकाकर्ता ने दिनांक 12.11.2007 (अनुलग्नक पी/6) और दिनांक 23.07.2009 (अनुलग्नक पी/5) का कार्य आदेश पेश किया है। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता को भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिनांक 09.06.2006 से दिनांक 08.06.2008 तक के समय के लिए अनाज के ढुलाई का अनुभव है, जैसा कि दिनांक 24.06.2009 और दिनांक 09.06.2008 (अनुलग्नक पी/4) के प्रमाण-पत्र से स्पष्ट है।

5. इस तरह, अपेक्षित अनुभव की कमी के आधार पर अस्वीकृति तथ्यों के विरुद्ध है। इस बात के संबंध में कि तकनिकी बोली के पन्नों पर मुहर के साथ हस्ताक्षर नहीं किए गए थे और संलग्न किए गए दस्तावेज पर न तो फर्म ने हस्ताक्षर किए थे और न ही नोटराइज़ किए थे, श्री परांजपे ने कहा कि याचिकाकर्ता ने तकनिकी बोली के हर पृष्ठ पर मुहर के साथ हस्ताक्षर किए हैं। तकनिकी बोली में, जिसमें यह खास तौर पर बताया गया था कि याचिकाकर्ता को मुहर के साथ हस्ताक्षर करने की ज़रूरत थी, हर दस्तावेज पर वही हस्ताक्षर करने की ज़रूरत थी और इसके अतिरिक्त, उसके साथ कोई निविदा प्रपत्र/ तकनिकी बोली संलग्न नहीं था। याचिकाकर्ता को पहले दिनांक 08.09.2008 को दिया गया संविदा समाप्त कर दिया गया था, परन्तु दिनांक 05.09.2008 के पश्चात् संविदा समाप्त होने से पहले कोई नया ठेकेदार नियुक्त नहीं किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. वहीं दूसरी ओर, श्री जायसवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री प्रवेश शर्मा, उत्तरदाता/ भारतीय खाद्य निगम के अधिवक्ता के साथ पेश हुए, ने दलील दिया कि याचिकाकर्ता के द्वारा अपने निविदा दस्तावेज में सही तथ्यों का अभिलेख पर प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया है। तकनिकी बोली के खंड (III) (3) में यह जानकारी अपेक्षित है कि क्या उकता निविदा का संविदा , संविदा अवधि कि समाप्ति से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने उक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक रूप में दिया था, हालाँकि वास्तविकता यह है कि याचिकाकर्ता को

दिनांक 26.08.2008 एवं 29.09.2008 को अनुलग्नक आर/1 के माध्यम से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था, जिसमें गंभीर अनियमितताओं

के कारण बसना एवं सरायपाली से गुमला तक चावल के परिवहन हेतु प्रदत्त उसके संविदा को क्यों न समाप्त कर दिया जाए, इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था। तत्पश्चात दिनांक 05.09.2008 के आदेश (अनुलग्नक आर/2) याचिकाकर्ता का संविदा , संविदा की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 08.09.2008 से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने जानबूझकर यह तथ्य छिपाया है कि खंड L-1 के अंतर्गत तकनीकी विशेषज्ञता के संबंध में उर्वरक, अनाज, सीमेंट अथवा इसी प्रकार के उत्पादों के परिवहन कार्य में पिछले दो वर्षों के दौरान कार्य करने का अनुभव अपेक्षित था। उक्त शर्त के अनुसार निविदा प्रस्तुत करने वाले को विगत दो वर्षों में कम से कम एक संविदा पूर्ण किया होना आवश्यक था। याचिकाकर्ता द्वारा भारतीय खाद्य निगम का जो प्रमाण-पत्र अनुलग्नक पी-4 के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वह केवल संविदा की अवधि के संबंध में है, किंतु उसमें यह उल्लेख नहीं है कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा उक्त संविदा को पूर्ण किया गया था तथा क्या उसे सम्पूर्ण अवधि में परिवहन कार्य का अनुभव प्राप्त हुआ था। जैसा कि पूर्व में उल्लेखित किया गया है, उक्त संविदा जो दिनांक 08.09.2008 को समाप्त होना था, उसे दिनांक 05.09.2008 को ही समाप्त कर दिया गया था। इसी प्रकार, वेदांता एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा अनुलग्नक पी -5 एवं अनुलग्नक पी-6 के माध्यम से जारी सेवा आदेश में भी यह उल्लेख नहीं है कि सेवा आदेश के पूर्ण होने पर याचिकाकर्ता को कोई अनुभव प्राप्त हुआ था, क्योंकि इस संबंध में कोई अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. श्री अग्रवाल, जो उत्तरदाता क्रमांक–4 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता हैं, जिन्हें मद क्रमांक 50 के संबंध में संविदा प्रदान किया गया था, समिति की रिपोर्ट में दर्शाए गए आधारों के अनुसार याचिकाकर्ता की तकनीकी बोली को अस्वीकृत किए जाने का समर्थन करते हैं। वह आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा परिवहन कार्य के लिए पूर्व में प्राप्त संविदा को पूर्ण नहीं किया गया था, क्योंकि उक्त संविदा उसकी अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। अपनी उक्त दलील के समर्थन में उन्होंने **जगदीश मंडल बनाम उड़ीसा राज्य एवं अन्य**[1], **ग्लोडाइन टेक्नोसर्व लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य**

[1](2007) 14 एससीसी 517

और अन्य[2], तथा **सीमेंस पब्लिक कम्युनिकेशन नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य**[3] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का हवाला दिया है।"

8. श्री अंसारी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री अंकुश मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता के साथ उत्तरदाता क्रमांक 3 की ओर से प्रस्तुत हुए, जिन्हें मद नंबर 41 के संबंध में संविदा दिया गया था, भारतीय खाद्य निगम और उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण को अपनाया है।

9. हमने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी निवेदनों/प्रस्तुतियों पर अभिवचकों तथा संलग्न दस्तावेजों पर भी विचार किया है।

10. निविदा प्रपत्र के अंतिम पृष्ठ पर घोषणा का प्रावधान है। अंतिम स्तंभ में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि यदि निविदाकार द्वारा प्रदत्त जानकारी असत्य या त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो भारतीय खाद्य निगम को निविदादाता को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्राप्त होगा।"यह निम्न प्रकार है-

> मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी सही और सत्य है और अगर दी गई जानकारी गलत/असत्य पाई जाती है, तो भारतीय खाद्य निगम को बिना कोई सूचना या कारण बताए मुझे/हमें अयोग्य करने का अधिकार होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. परिशिष्ट–II के विषय 'तकनीकी बोली के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज'के अंतर्गत खंड (III) (3) में यह उपबंध किया गया है कि संविदा अवधि की समाप्ति से पूर्व पूर्ववर्ती संविदा के समाप्त किए जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाए।

याचिकाकर्ता ने उक्त के संबंध में नकारात्मक उत्तर दिया है। उक्त निम्नानुसार है-

> **"**(III) तकनीकी विशेषज्ञ.....
>
> 3.क्या संविदा अवधि की समाप्ति से पूर्व आपका संविदा भारतीय खाद्य निगम अथवा किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठन या किसी अन्य ग्राहक द्वारा समाप्त किया गया था, अथवा आपकी प्रतिभूति राशि या ई.एम.डी. जब्त की गई थी?.....**"** हाँ/नही

[2] (2011) 5 एससीसी 103

[3] (2008) 16 एससीसी 215

12.श्री परांजपे द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि उसके संविदा की अवधि का पर्यावसान होने के उपरांत किसी नवीन ठेकेदार की नियुक्ति नहीं की गई, तथ्यात्मक रूप से असत्य तथा अभिलेखों के प्रतिकूल है। अभिलेखों में उपलब्ध दिनांक 05.09.2008 के समाप्ति आदेश से स्पष्ट है कि श्री देवनाथ सिंह राजपूत को दिनांक 09.09.2008 से 08.09.2010 की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था तथा उन्होंने दिनांक 06.09.2008 से कार्य आरम्भ भी कर दिया था।

13.मूल अभिलेखों के अवलोकन से यह पाया गया कि प्रपत्र के साथ संलग्न अनुलग्नकों पर हस्ताक्षर तो किए गए हैं, तथापि निविदा के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित मुहर अंकित नहीं की गई है। अभिलेखों से यह भी परिलक्षित होता है कि याचिकाकर्ता द्वारा निविदा के परिशिष्ट-1 पर हस्ताक्षर किए गए हैं, किंतु उक्त दस्तावेजों पर आवश्यक मुहर अंकित नहीं की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि निविदा के प्रथम पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षर किए गए हैं, परंतु इसके पश्चात किन्ही भी पृष्ठों पर हस्ताक्षर नहीं किये गए हैं जिन पृष्ठों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उनमें निविदा आमंत्रण सूचना के उपबंध-1 (अनुलग्नक 'पी - 1') के रूप में किया गया है। साथ ही यह भी प्रावधानित है कि संबंधित दस्तावेज तथा परिशिष्ट-1 एवं 2 स्व-प्रमाणित होना अनिवार्य था, किंतु उक्त औपचारिकता का भी पालन नहीं किया गया।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14.यद्यपि अनुभव के संबंध में कोई विवाद विद्यमान हो, तथापि अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि संविदा के पर्यावसान होने की स्थिति में, संविदा अवधि की अंतिम तिथि से तीन दिन पूर्व तक याचिकाकर्ता किसी एक ही संविदा में विगत दो वर्षों का न्यूनतम अनुभव प्राप्त करने की स्थिति में नहीं था। वैसे भी, यदि विशेषज्ञ समिति द्वारा उल्लिखित उपर्युक्त कर्मियों में से किसी एक के संबंध में दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण भी पाई जाए, तब भी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा गलत जानकारी प्रस्तुत करने तथा निविदा के प्रावधानों के अनुरूप निविदा प्रपत्र, नियम एवं शर्तों तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न करने के संबंध में गंभीर त्रुटियाँ की गई थीं। ऐसी परिस्थिति में, भारतीय खाद्य निगम द्वारा याचिकाकर्ता की तकनीकी बोली को अस्वीकार किए जाने का निर्णय त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता।

परिशिष्ट के खंड-1 में यह प्रावधान किया गया है कि नियम एवं शर्तों पर मोहर सहित विधिवत हस्ताक्षर किए जाना अनिवार्य होगा।"

15.जगदीश मंडल बनाम उड़ीसा राज्य वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा वे निदेशक सिद्धांत प्रतिपादित किये गए हैं जिसमे यह बताया गया है कि संविदा से सम्बंधित मामलो में कब न्यायिक पुनर्विलोकन अनुज्ञेय हैं। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं:

> 22. प्रशासनिक कार्यवाही का न्यायिक पुनर्विलोकन का मकसद मनमानी, बेमतलब, बेतुकी बातें, भेदभाव और गलत इरादे को रोकना है। इसका मकसद यह जांचना है कि चुनाव या निर्णय "विधिक" तरीके से लिया गया है या नहीं, न कि यह जांचना है कि चुनाव या निर्णय "सही" है या नहीं। जब निविदा या संविदा देने से जुड़े मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक संविदा एक वाणिज्यिक संव्यवहार होता है। निविदा और संविदा का मूल्यांकन करना असल में व्यापारिक कार्य है। एसे मामलो में साम्य तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुप्रयोग नहीं किया जाता। यदि अनुबन्ध देने से जुड़ा फैसला सही है और जनता के हित में है, तो न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, तब भी दखल नहीं देंगे, जब प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी या आकलन में गलती या निविदा देने वाले को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का इस्तेमाल लोकहित की कीमत पर निजिहित को बचाने या संविदा से जुड़े झगड़ों को सुलझाने के लिए नहीं किया जाएगा। शिकायत करने वाला निविदा देने वाला या ठेकेदार हमेशा दीवानी न्यायालय में हर्जाना मांग सकता है। नाकाम निविदाकर्ता की मनगढ़ंत शिकायतों, आहात स्वाभिमान और व्यवसाय की होड़ के साथ कोशिशें, खुद को, किसी तकनीकी/प्रक्रियात्मक हिंसा या किसी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भेदभाव की वजह से राई का पहाड़ बनाना और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का इस्तेमाल करके न्यायालय को ऐसा करने के लिए मनाना, दखल देने और विरोध करने लायक नहीं है। आखिरी, ऐसे दखल, चाहे अंतरिम हों या आखिरी, लोक के कार्यों को वर्षो तक रोक सकते हैं, या अनुतोष देने में देरी कर सकते हैं और परियोजना की लागत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसलिए, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए निविदा या संविदा के मामलों में दखल देने से पहले, न्यायालय को खुद से ये सवाल पूछने चाहिए: (i) क्या प्राधिकारी द्वारा अपनाया गया प्रक्रिया या लिया गया निर्णय गलत इरादे से है या किसी का फायदा उठाने के इरादे से है;

या

क्या अपनाया गया प्रक्रिया या लिया गया निर्णय इतना मनमाना और बिना सोचे-समझे है कि न्यायालय यह कह सके:

"निर्णय ऐसा है कि कोई भी ज़िम्मेदार प्राधिकारी सही तरीके से और बिना किसी नियम के काम नहीं कर रही है";

(ii) क्या इससे लोकहित पर असर पड़ता है।

अगर जवाब 'नहीं' में हैं, तो अनुच्छेद 226 के तहत कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। काली सूची या सज़ा देने वाले मामले या राज्य सम्पदा के वितरण (जैसे किसी राज्य की स्थान/दुकानों का वितरण, अनुज्ञप्ति, अधिकृत विक्रेताधिकार और अधिकार-पत्र देना) अलग स्तर पर आते हैं क्योंकि उनके लिए कार्यवाही में निष्पक्षता होना आवश्यक है।"

16.इसके अतिरिक्त, ग्लोडाइन टेक्नोसर्व लिमिटेड[2] के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"47.अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्क इस आधार पर प्रतिपादित किए गए हैं कि उसे लगभग एक अधिकार के रूप में निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभिलेखों को बाद में प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए था। यह तर्क इस धारणा पर आधारित है कि भले ही ऐसे अभिलेख वैध एवं प्रभावी हों, उन्हें सहमती पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के समय भी प्रस्तुत किया जा सकता था। अभिलेखों से यह भी परिलक्षित होता है कि अपीलार्थी के पास एक वैध एवं प्रभावशील ISO 9001:2008 प्रमाणन विद्यमान था, जिसे उसने निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न नहीं किया। यह संभव है कि उक्त त्रुटि अनजाने में हुई चूक के कारण घटित हुई हो, तथापि ऐसी स्पष्टीकरण को स्वीकार किया जाना है अथवा नहीं, यह पूर्णतः निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण के विवेकाधीन अधिकारों के अंतर्गत आता है। इस प्रकार अपीलार्थी की तकनीकी निविदा को अस्वीकार करने अथवा स्वीकार करने के संबंध में प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय न तो विकृत कहा जा सकता है और न ही मनमाना। अतः इस संदर्भ में विद्वान अटॉर्नी जनरल अथवा अपीलार्थी की ओर से उद्धृत निर्णयों का पृथक रूप से उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रतिपादित विधिक सिद्धांत पूर्व से ही सुस्थापित है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17.उच्चतम न्यायालय ने सीमेंस पब्लिक कम्युनिकेशन नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की:

"40. प्रस्तुत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने पर, हमारा यह मत है कि ऐसा कोई भी मापदंड पूरा नहीं हुआ है, जो अपीलार्थियों के पक्ष में संविदा दिए जाने के मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप को उचित ठहराता हो। जब निविदाओं या अनुबंधों के आवंटन से संबंधित मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो कुछ विशेष पहलुओं पर विचार करना आवश्यक होता है।"

18.प्रस्तुत मामले में, हमारी सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ता की तकनीकी बोली को अस्वीकार करने का समिति का निर्णय न तो अनुचित है, न ही मनमाना और न ही असमर्थनीय। समिति ने अपने विवेक का उचित एवं तर्कसंगत रूप से प्रयोग

कियाहै। यह न्यायालय ऐसे तकनीकी मूल्यांकन के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि निर्णय लेने की प्रक्रिया अथवा स्वयं निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है।

19. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, यह रिट याचिका खारिज की जाती है। वाद व्यय के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं।

सही/-
सतीश के अग्निहोत्री
न्यायाधीश

सही/-
मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Pushyamitra Maltiar